न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
जिला भीलवाड़ा राज
राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2016

पीठासीन अधिकारीः—राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः—75/2017 प्रार्थना पत्र

उनवान

1—गीता देवी पत्नी रोशनलाल कलाल निवासी मौखुन्दा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रार्थीया

बनाम

1—लैण्ड हॉल्डर जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट.</u>

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन— अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 19.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट मौखुन्दा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मौखुन्दा पटवार हल्का मौखुन्दा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीया के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 78 में अंकित आराजी संख्या 940 रकबा 0.92 है0 भूमि प्रार्थीया की अन्य आराजियात के साथ स्थित है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है। प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक में अंकित प्रार्थीया की कृषि आराजियात में आवागमन का कोई स्थाई रेकार्डेड रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीया अपनी उक्त कृषि आराजियात में ग्राम आसुणा की सीमा में स्थित सरकारी रास्ते से होकर ग्राम मौखुन्दा में स्थित आराजी संख्या 935 के खातेदार की भूमि में होकर अपनी आराजी संख्या 940 में आवागमन करती हैं। परन्तु आराजी संख्या 935 के खातेदार ने प्रार्थीया को उसकी आराजी संख्या से आवागमन करने से रोक दिया है जिससे प्रार्थीया अपनी कृषि आराजी में आवागमन नहीं कर पा रही है। प्रार्थीया की उक्त आराजी में आवागमन का एक मात्र रास्ता ग्राम आसुणा की सीमा में स्थित सरकरी रास्ते से होकर ग्राम मौखुन्दा की सीमा में स्थित आराजी संख्या 935 से होकर प्रार्थीया की भूमि में आवागमन किया जाता था परंतु वर्तमान में आराजी संख्या 935 के खातेदार द्वारा रास्ता रोक देने से प्रार्थीया ग्राम मौखुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 936 की पश्चिमी पाली से होकर अपनी आराजी संख्या 940 में आवागमन कर रही हैं तथा उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीया की आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यंत आवश्यकता का रास्ता है। सुविधा की दृष्टि से उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकित किया गया है। आराजी संख्या 936 की पश्चिमी पाली पर प्रार्थीया को अपनी आराजी संख्या 940 में आवागमन के लिए 30 फीट चौडे रास्ते की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि की कीमत प्रार्थीया डी.एल.सी. दर से अदा करने को तैयार है। जिससे ग्राम आसुणा की सीमा में स्थित सरकारी रास्ते से लगती हुई ग्राम मौखुन्दा की बिलानाम आराजी संख्या 936 की पश्चिमी पाली पर तीस फीट चौडे रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान फरमाया जाए। प्रार्थीया को अपनी आराजी संख्या 940 में आवागमन करने के लिए स्थाई रास्ते की आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा कोई अन्य रास्ता नहीं है तथा आराजी संख्या 935 के खातेदार द्वारा दिनांक 30.05.2017 को प्रार्थीया को आवागमन करने से रोक देने से प्रार्थीया को बिनाय प्रार्थनापत्र दिनांक 30.05.2017 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 9.06.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा में भी नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में प्रार्थीया के अधिवक्ता एवं विपक्षी तहसीलदार रायपुर उपस्थित हुऐ। विपक्षी तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया गीता देवी पत्नि रोशन लाल कलाल निवासी मौखुन्दा के खातेदारी भूमि ग्राम मौखुन्दा के आराजी नम्बर 940 रकबा 0.92 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड हैं। प्रार्थीया की भूमि ग्राम मौखुन्दा से खोमाणा जाने वाली सडक के मध्य खातेदारी आराजी नम्बर 935 में से होकर आता जाता था। जिसको पडोसी खातेदार ने बन्द कर दिया है। प्रार्थीया की भूमि आवागमन हेतु बिलानाम आराजी संख्या 936 रकबा 0.48 है0 किस्म उसर की पश्चिमी पाली के सहारे सहारे आते जाते हैं। जिसकी राजस्व रेकार्ड किस्म गैमु0 रास्ता दर्ज करवाना चाहती है। उक्त रास्ता 30 फिट दर्ज करवाना चाहती है। बिलानाम आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से प्रस्तावित रास्ता का रकबा 0. 05 है0 अर्थात 500 वर्गमीटर भूमि आती है। जिसको नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। बिलानाम आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी दर की दोगुनी राशि 44676/— रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः ग्राम मौखुन्दा के आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 भूमि बिलानाम रास्ता डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राज कोष में जमा करने की अभिशंषा की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थीया एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मनन करने एवं एक तरफा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। ग्राम मौखुन्दा की बिलानाम आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी दर की दोगुनी राशि 44676/— रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः ग्राम मौखुन्दा के आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 भूमि बिलानाम रास्ता डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राज कोष में जमा कराने पर बिलानाम गेमु रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे सफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

आदेश

ग्राम मौखुन्दा की बिलानाम आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी दर की दोगुनी राशि 44676/— रूपये बनती है। प्रस्तावित रास्ते के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अतः ग्राम मौखुन्दा के आराजी नम्बर 936 रकबा 0.48 है0 में से 0.05 है0 भूमि बिलानाम रास्ता डी.एल.सी. दर की दोगुनी राशि राज कोष में जमा कराने पर बिलानाम गेमु रास्ता राजस्व रिकार्ड दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 19.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा